

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 24-9-86 को 10:30 बजे
प्रातः से प्राधिकरण कार्यालय देहरादून में हुई बैठक की कार्यवाही ।

अपस्थिति :

- | | |
|--|------------------------|
| 1- श्री एस0एस0पांगाली, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, | अपस्थित,
उपाध्यक्ष, |
| 2- श्री प्रताप सिंह | सदस्य |
| 3- श्री रामबालू, विशेष सचिव, आवासा एवं नगर विकास, | प्रतिनिधि सदस्य |
| 4- श्री के0सी0श्यालियाल बन संरक्षक मसूरी वृत्त | प्रतिनिधि सदस्य |
| 5- श्री आडू0पी0सिंह, संयुक्त निदेशक पर्यावरण | प्रतिनिधि सदस्य |
| 6- श्री एड0के0शर्मा, वरिष्ठ निरीक्षक, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, उ0पु0 | प्रतिनिधि सदस्य |
| 7- श्री हारिका नाथ धवन | सदस्य |
| 8- श्री गिरिश चन्द्र गर्ग अधिष्ठात्री अभियन्ता सा0नि0वि0 | प्रतिनिधि सदस्य |
| 9- श्री अनिल कान्त द्विवेदी सहायक निदेशक पर्यटन | प्रतिनिधि सदस्य |
| 10- श्री एस0आर0कुकरेती उपर जिला अधिकाारी | प्रतिनिधि सदस्य |
| 11- श्री के0एम0काठियाल अभियन्ता जिला उद्योग केन्द्र | प्रतिनिधि सदस्य |

विक्षेप आर्म्बितः

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- श्री हीरा सिंह विषट | नगर विधायक |
| 2- श्री किशोरी लाल सकलानी | विधायक मसूरी क्षेत्र |
| 3- श्री वी0वी0रत्न | सहयुक्त नियोजक |
| 4- श्री एस0पी0जिनयाल | संक्षेप प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण |
| 5- श्री विनोद शर्मा | परगना अधिकारी मसूरी । |
| 6- श्री यू0डी0चौध | सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
संयुक्त सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण । |
| 7- श्री आर0पी0सिंह | |

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व विशेष रूप से आर्म्बित श्री हीरा सिंह विषट विधायक व श्री किशोरी लाल सकलानी विधायक ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकषित किया ।

- 1- परेड ग्राउन्ड में पवेलियन के पीछे की ओर दुकानों का निर्माण रोक दिया जाय । उन्होंने यह भी बताया कि पवेलियन का विस्तार होने पर यह दुकानों के कारण पाकिंग में व्यवधान उत्पन्न करेंगे ।
- 2- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया रु0 25 प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क बहुत अधिक है और देहरादून की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये इसे कम किया जाय ।
- 3- कलावती धर्मशाला द्वारा किये गये निर्माण को गमन करते समय उनसे भूमि का मूल्य न लिया जाय और मामूली दरों पर गमन करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया जाय ।
- 4- वासमती गावले वाले क्षेत्र को आबादी व उद्योगों से रहित रखा जाय ।

981

5- मसूरी में पर्यटन का मूलैकस को पूरा किया जाय ताकि पर्यटकों को लाभ मिल सके ।

6- महायोजना की विस्तारिताओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व जन प्रतिनिधियों की राय अवश्य प्राप्त की जाय ।

7- प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाय या फिर विकास मजुल्क न लिया जाय ।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया

और सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1- विकास मजुल्क : यह बात सही नहीं पाई गई कि इस विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास दर अन्य विकास प्राधिकरणों की दरों के समान है । यह स्पष्ट किया गया कि अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विकास मजुल्क की दरें बहुत अधिक हैं और नैनीताल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई दर भी बहुत अधिक है । यह स्पष्ट किया गया कि देहरादून की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ही यहाँ सबसे कम विकास मजुल्क निर्धारित किया गया है और यदि वास्तविक विकास कार्य की लागत को देखा जाय तो यह विकास मजुल्क इससे बहुत कम है । यह बात भी स्पष्ट की गई कि जिन कालोनीयों में मानचित्र स्थीकृत किये जा रहे हैं वहाँ यदि आवश्यक विकास कार्य किये जाने हैं और जनसुविधाओं दी जानी है तो विकास मजुल्क इतना कम नहीं होना चाहिये कि प्राधिकरण यह कार्य न कर पाये । श्रमः

अतः यह निर्णय हुआ कि विकास मजुल्क की दरें कम नहीं हकी जा सकती परन्तु यदि किसी श्रेय विभिन्न क्षेत्र का मायला ध्यान में लार जाने पर जहाँ सड़कें, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है वहाँ शीघ्र विकास कार्यों को करने की जो लागत आती है उसके अनुसार विकास मजुल्क निर्धारित करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दीया ।

2- पवेलियन ग्राउन्ड के पीछे टुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि इस समय केवल 12 स्थलों पर तीन मंजिला टुकानों का निर्माण किया जा रहा है जो पवेलियन के एक किनारे पर तथा बरगद के पेड़ों के पीछे के स्थान पर है । यह भी स्पष्ट किया गया कि मूलतः 210 तीन मंजिली टुकानों का निर्माण प्रस्तावित था परन्तु 20-11-35 की प्राधिकरण की बैठक में इस योजना को स्थगित रखा गया था । यह भी स्पष्ट किया गया कि 4-6-36 की बैठक में पुनः इस मामले पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया था कि एक किनारे पर 12 टुकान स्थलों पर टुकानों का निर्माण किया जाय क्योंकि वहाँ केवल प्राधिकरण द्वारा नीव डालने के कारण पर काफी धनराशि व्यय की जा चुकी है । यह बात उठाई गई कि इस जगह पर टुकानों के निर्माण से पवेलियन के विकास में बाधा होगी तथा कार पाकिंग के लिये स्थान उपलब्ध

नहीं रह जायेगा । यह स्पष्ट किया गया कि पवेलियन का विस्तार इस तरह संभव नहीं होगा क्योंकि इस क्षेत्र में बरगड के पांच थेडी जो काटना पड़ेगा जो उचित नहीं होगा । यह भी स्पष्ट किया गया कि ये दुकानें पवेलियन के पीछे की ओर कार बढ़ी करने की जगह से बहुत पीछे हैं और इन दुकानों के निर्माण करने के बाद प्राधिकरण द्वारा स्वयं भी वहां पर 80 कारों के लिए पार्किंग स्थल का विकास प्रस्तावित है । यह भी कहा गया कि यह स्पष्ट नहीं है कि रेडियम वर्तमान पवेलियन का विस्तार करके ही बनाया जायेगा वा अन्य किसी स्थान पर । यह भी बताया गया कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भी 5 करोड़-5 रुपये की लागत का एक रेडियम बनाने का प्रस्ताव विद्याराधीन है । अतः यह उचित नहीं समझा गया कि पवेलियन के पीछे के स्थान को वर्तमान अज्ञेय स्थान में अधिक समय तक चलने से दिया जाय और वहां पर अनाधिकृत निर्माणों को बढ़वा कर इस स्थान की सुन्दरता को नष्ट होने दिया जाय । यह उचित समझा गया कि पवेलियन के पीछे के स्थान का सुनिश्चित ढंग से विकास हो और इसका ^{होना} विकास किता जाय कि दुकानों का निर्माण भी हो जाय और कारों को पार्किंग स्थान भी उपलब्ध हो जाय ताकि ठेली पर सामान बेचने वालों की भीड़ भी न हो । यह भी बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा 12 दुकानों का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और उस पर दो लाख रुपये से अधिक का व्यय भी किया जा चुका है ।

अतः सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 12 दुकान स्थलों पर तिमजली दुकानों का निर्माण कार्य स्थगित न किया जाय और इनको पूर्ण किया जाय । जहां तक उनके आर्बटन का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में अलग से नीति निर्धारित की जायेगी । यह भी निर्णय हुआ कि पवेलियन के पीछे जो भग्न है जहां इस समय अनाधिकृत रूप से दुकान लगाई जा रही है उसका सर्वेक्षण कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय कि इस भाग का किस प्रकार सुनिश्चित विकास किया जाना ठीक रहेगा ।

3- मसूरी में पर्यटन कार्पोरेशन का निर्माण:

यह स्पष्ट किया गया कि शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि पर्यटन कार्पोरेशन को चौथी मंजिल तक ही सीमित सीमित रखा जायगा और सड़क के बराबर में जो मंजिल आ रही है उसे पर्यटकों के लिये खुला रखा जायगा जिससे दून घाटी का दृश्य देखा जा सके । चौथी मंजिल के ऊपर जो पिलर्स उठाये गये हैं उनके बारे में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि उनको इस प्रकार से डिजाइन कर दिया जाय जिससे कि वह देखने में आकर्षक लगे ।

सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि शासन के उपरोक्त निर्णयों के

28

परिष्कार में प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर विचार किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

4- बासमती चावल वाले क्षेत्र का भू-उपयोग :

यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि यह क्षेत्र महायोजना में आबादी क्षेत्र दिखाया गया है परन्तु फिर भी यहाँ खेती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके विपरीत इस क्षेत्र का भू-उपयोग कृषि में परिवर्तन करने से सीलिंग से इस क्षेत्र के कुलक प्रभावित हो जायेगा ।

यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति की संस्तुति पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

5- कलावती धर्मशाला :

यह बिन्दु रजेंड्रा में भी शामिल है और इस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा ।

6- महायोजना की विसंगतियाँ :

यह बिन्दु भी रजेंड्रा में शामिल है और इस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा परन्तु यान्त्रिक विधाओं को यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजे जाने पर शासन द्वारा उन संस्तुतियों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व आपत्तियाँ आमन्त्रित की जायेंगी और उन पर विचार करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा ।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त रजेंड्रा के अनुसार मद्दवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

..... 5

29

92

50

1:-
मद संख्या- गार बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 4-6-86 की कार्यवाही को पढ़ने के उपरान्त उसकी पुष्टि की गई। पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि श्री आर्डीपी० सिंह सभुवत निदेशक ने केवल यह कहा कि पिछली बैठक की कार्यवाही के मद संख्या 5 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शाखा के स्थावर पर पर्यावरण निदेशालय की शाखा लिखा जाना चाहिए था। तदनुसार संशोधन किया गया।

पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के बारे में प्रस्तुत आख्या को पढ़ा गया और इस पर सर्व सम्मति से सन्तोष व्यक्त किया गया श्री कोठारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रदूषण विभाग की एक शाखा 36/11 लक्ष्मणा चौक में स्थापित हो चुकी है। श्री आर्डीपी० सिंह ने बताया कि पिछली बैठक में पर्यावरण विभाग की शाखा देहरादून में खोलने का निर्णय हुआ था।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया पर्यावरण विभाग को तदनुसार पत्र भेजा जाय।

प्राधिकरण कार्यालय :

प्राधिकरण कार्यालय 12 प्रीतम रोड पर स्थानान्तरित करने के लिये 10 हजार रुपये अतिरिक्त व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की गई तथा वह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कार्यालय वहाँ स्थानान्तरित होने के बाद भी परेड ग्राउन्ड स्थित वर्तमान भवन का बैठक कक्ष प्राधिकरण के पास रहेगा और शेष भाग में से एक भाग सहवृत्त निबोजक को उनकी आवश्यकता-नुसार ^{उपलब्ध} रहेगा और उपाध्यक्ष के निर्णय के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

मद संख्या-2. प्रगति आख्या :

विविध परिषीजनाओं की अगस्त 1986 के अन्त तक की प्रगति पर विचार किया गया। इस समय केवल लक्ष्मणा चौक आवासीय योजना तथा परेड ग्राउन्ड में पवेलियम ग्राउन्ड के पीछे व्यवसायिक केन्द्र योजनाओं पर ही निर्माण कार्य चल रहा है।

यह निर्णय लिया गया कि यह निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाय और जिन अन्य योजनाओं में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने श्रमा लेने व भूमि अधिग्रहित सम्बन्धी कार्य चल रहे हैं उन्हें भी शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

यह भी निर्देशा दिने गये कि अगली बैठक में कार्य प्रगति आख्या प्रस्तुत करते समय आख्या में यह भी दिखाया जाय कि पिछली बैठक तक क्या

पुनर्गठित हुई थी और इसके आगे क्या पुनर्गठित हुई है। अबपुर कला में प्रोत्साहित करने के लिए भी 27 एकड़ भूमि सीमांकन डिपार्टमेंट में राजस्व विभाग के कार्यालयों द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है जिस कारण प्रोत्साहित करने के लिए 27 एकड़ भूमि पर आवश्यक योजना हेतु प्लान बनाने में कठिनाई हो रही है।

अतः ^{31.8.86} जिलाधिकारी से गतिवृत्त यह कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की गई। इसके अलावा 69/71 राजपुर रोड व प्रीतम रोड पर भूमि की अभाव में कार्यवाही चल रही है, जिसे धारा 4 की विज्ञापित हो चुकी है और धारा 6 व 17 की विज्ञापित होनी है। अतः ^{31.8.86} जिलाधिकारी से अपेक्षा की गई कि वे इस कार्यवाही में तेजी लें।

मानवियों की स्वीकृति :

मानवियों की स्वीकृति के कार्य में पुनर्गठित करने पर सन्तोष प्रकट किया गया पर इस बात पर जोर दिया गया कि मानवियों की स्वीकृति के प्राथमिक-पत्रों का निस्तारण 2 माह के अन्दर उपप्राथमिक द्वारा निर्धारित की गई नई प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना।

धारा 27 के अन्तर्गत अनाधिकृत निवासियों के विरुद्ध कार्यवाही :

अवशेष मामलों की संख्या बहुत अधिक पाई गई है और यह भी पाया गया कि 1-4-86 से 31-8-86 तक निर्धारित मामलों की संख्या भी कम रही है। यह बताया गया कि अज्ञात माह में ही बहुत कालोनीज व क्षेत्रों की जानकारी स्वीकृत हेतु खोला गया है और अब इन मामलों के निस्तारण में तेजी आयेगी। अतिरिक्त जिला अधिकारी ने यह बताया कि गणना से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि गांव सभाओं की भूमि पर जो अनाधिकृत निवासियों ~~के~~ ^{के} ~~हुने~~ ^{हुने} हैं उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाए।

यह पूछे जाने पर कि किस तिथि तक किये गये अनाधिकृत

निवासियों को निवृत्त किया जाना है अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि 31-8-86 तक जो अनाधिकृत निवासियों को चुके हैं उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस पर उन्हें यह अवगत कराया गया कि कांवेनी में जो अनाधिकृत निवासियों द्वारा गये वह 31-8-86 के बाद हो रहे थे और उन्हें हटाया जाना उचित था। इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई कि विकास प्रोत्साहित करने में आने वाले गांव सभाओं की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण होते जा रहे हैं जब कि ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्य विकास प्रोत्साहित द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इस बात पर भी चिन्ता प्रकट की गई कि गांव सभाओं द्वारा जो पट्टे दिये जा रहे हैं उनमें भी भवनों का

निर्माण ले-आउट के अनुसार नहीं हो रहा है बल्कि उदपटाग तरीके से हो रहा है यह निर्णय लिया गया कि गांव सभाओं द्वारा किसी भी भूमि पर पट्टे दिये जाने से पूर्व परगना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि इस भूमि का ले-आउट विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करवाये जाय ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी करने के लिये अध्याय ने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसमें अतिरिक्त जिलाधिकारी सन्धिखर्क परगना अधिकारी व सन्धिखर्क गांव सभाओं के प्रधानों को भी बुलाया जायेगा । अतिरिक्त जिला अधिकारी इस समिति की बैठक आयोजित करेंगे ।

संख्या: 3 अधिकारियों की नियुक्ति:

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों

को शासन द्वारा उनके मान के सामने अंकित लिखि से प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किया गया है:-

1- श्री प्रताप सिंह	उपाध्यक्ष	29-7-86
2- श्री यू0डी0 चौबे	सचिव	14-7-86
3- श्री आर0पी0 सिंह	संयुक्त सचिव/समिति अधिकारी	7-6-86

संख्या: 4 प्राधिकरण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता:

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि कर्मचारियों को शासन द्वारा

निर्धारित वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

संख्या: 5 वास्तुविदों के प्रतिवेदन पर विचार:

पिछली बैठक दिनांक 4-6-86 में वास्तुविदों की समस्याओं पर विचार करने के लिये लिये गये निर्णयों के अनुसार उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति की बैठक दिनांक 4-8-86 को हुआ हुई और इसकी सस्तिखों को प्राधिकरण के समक्ष रखा गया ।

अतः सर्व सम्मति से यह सस्तिखा अनुमोदित की गई पर इसके साथ यह

भी निर्देश दिये गये कि उन सभी वास्तुविदों की सूची प्राप्त की जाय जो कौन्सिल आफ आर्किटेक्ट से मान्यता प्राप्त है और कौन्सिल आफ आर्किटेक्ट द्वारा उनके पक्ष में जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की एक प्रतिलिपि भी प्राधिकरण कार्यालय में रख ली जाय ताकि यह साबुट हो जाये कि उनके प्रमाण-पत्रों की अवधि समाप्त तो नहीं हो गई है । जिन वास्तुविदों के प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो गई है उनको प्राधिकरण में अनुज्ञा शुल्क देना होगा जब तक वे अपने प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न करा लें । जिनके प्रमाण-पत्र वैध हैं उनसे अनुज्ञा शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

सीनियर टाउन प्लानर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार

शासन स्तर पर

29

क्रमांक:.....8

श्री वास्तुविदों से सम्बन्धित बार्डलॉज में तदनुसार संशोधन किया जा रहा है ।

प्र संख्या: 6 चूना भट्टा:

प्राधिकरण के सदस्यों ने इस बात पर अलग-अलग मत प्रकट किये कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा चूना भट्टों को हटाया जा सकता है या नहीं और क्या प्राधिकरण द्वारा दिया गया नोटिस वैध है । एक राय यह थी कि प्राधिकरण द्वारा दिया गया नोटिस वैध नहीं है और इस नोटिस के फलस्वरूप न्यायालयों में मुकदमों दर्ज किये गये हैं जिनको लड़ने के लिये प्राधिकरण को बहुत नुर्दा करना पड़ेगा और उन मुकदमों में प्राधिकरण के सफल होने की आशा भी नहीं है । यह भी बताया गया कि दून वैली बोर्ड की हाल ही मु- में हुई बैठक में भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर जो निर्णय लिया गया है उसमें भी चूना भट्टों को अब हटाने पर जोर नहीं है बल्कि उन्हें प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये जायेंगे ।

सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में जिला सरकारी वकील^१ सिविल^१ की राय प्राप्त कर अगली बैठक में रखी जाय

प्र संख्या: 7 यूनन नियमावली: प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 4-6-86 में यूनन नियमावली बनाने के लिये एक समिति गठित की गई थी । इस समिति को संस्तुति प्राधिकरण के सम्मेलन रखी गई जिसे सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से यूनन स्थल की दूरी 500 मीटर की होनी चाहिये व नदी के अलावा कहीं भी यूनन कार्य करने से जो श्रद्धा होता है उसे भरने के साथ-साथ पर्यावरण पुर्नस्थापना का कार्य किया जाना भी अनिवार्य होगी ।

प्र संख्या: 8- जासमन्ती वाले क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन:

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-11-85 व 4-6-86 में इस विन्दु पर विचार हेतु एक समिति गठित की गई थी । समिति की संस्तुति प्राधिकरण के सम्मेलन रखी गई । समिति की संस्तुति थी कि जासमन्ती वाले क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना में प्रिटिक्ट भू-उपयोग के अनुसार पूर्ववत् रखा जाय ।

विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना में संशोधन के समझ इस मामले पर विचार कर लिया जाय और अब तक वर्तमान महायोजना के अनुसार ही कलाया जाये ।

39

(9)

मद संख्या: 9 पद सृजन: इस मद में प्रस्तावित पेटर्न पर विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित पेटर्न स्वीकृत किया गया :-

उपाध्यक्ष
सचिव,
अपर सचिव/संयुक्त सचिव

प्रशासनिक	प्लानिंग	निर्माण	उद्यान	लेखा
1- उप सचिव/प्रशासनिक अधिकारी-1,	1- नगर नियोजक 1,	1- अधिशासी अभियंता-1,	उद्यान अधिकारी-1	मुख्य लेखाअधिका
2- सम्पत्ति अधिकारी 1,	2- आर्किटेक्ट 1,	2- सहायक अभियंता -4,	उद्यान पर्यवेक्षक 2	री- 1
3- राजस्व निरीक्षक 2,	3- डाक्टरेटमैन 1,	3- अवर अभियंता 16,	माली 16	लेखाकार- 2
4- लेखपाल 2	4-मुख्य ड्राफ्ट्समैन 2,	4- आशुलिपिक 1,		कैशियर -2
5- कार्यालय अधीक्षक 1	5 - ट्रेसर 4	5- लिपिक/टंकक 2		लिपिक/टंकक-2
6- मुख्य लिपिक 1,	6- आशुलिपिक 1	6- चपरासी/अर्दली 5		आशुलिपिक-1
7- वरिष्ठ लिपिक 4,	7- लिपिक/टंकक 1,	7- सगणक 1		चपरासी -3
8- वैयक्तिक सहायक 1,	8- चपरासी 1,	8- चैनमैन/अर्दली 12		
9- आशुलिपिक 3				
10-कनिष्ठ लिपिक 8				
11-विधि सहायक 2				
12-अर्दली 3				
13- चपरासी 8				
14- डाक रनर 3				
15- चौकीदार 2.				
16-सिक्यूरिटी गार्ड 1				
17- ड्राईवर 4				
18- सफाई कर्मचारी 1				
19- दफ्तरी 1				

सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार पद सृजित करते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों के वेतनमान शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित वेतनमान होंगे और इन पदों पर एक साथ नियुक्तियां नहीं की जायेगी जबकि कार्य विस्तार के साथ आवश्यकतानुसार वर्तमान नियमों व निर्धारित अर्हता के अनुसार उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेकर ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्तियां की जायेगी ।

3/9

(10)

मद संख्या 10- महायोजना में वित्तगतियां:

प्राधिकरण की पिछली बैठक 21-11-85 व 4-6-86 में इस प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति ने स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुतियां ^{आवासीय} ~~संस्तुतियां~~ के समक्ष प्रस्तुत की इसके अलावा सहयुक्त नियोजक द्वारा समिति की संस्तुति पर प्रतिवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इन दोनों पर विस्तृत विचार की स्थिति मानचित्र में दर्शाये हुये प्रस्तुत किया। इन दोनों पर विस्तृत विचार विचार विमर्श किया गया और सर्व सम्पत्ति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

१। डिफेंस कालोनी जो पूर्व में तीन फेज आवासीय तलपट मानचित्र में ^{दिल्ली} ~~दिल्ली~~ स्थित तथा स्थल पर फेज द्वितीय व तृतीय के विकसित हो जाने तथा ^{आवासीय} ~~आवासीय~~ स्थित क्षेत्रों की आवादी को दृष्टिगत रखते हुये ~~अन्तर्गत~~ डिफेंस कालोनी के क्षेत्र को भी कृषि हरित पट्टिका से आवासीय उपयोग आर-3 हेतु परिवर्तित कर दिया जाये।

२। सहारनपुर रोड पर स्थित प्रस्तावित मोहबेबला औद्योगिक स्थल के समक्ष का क्षेत्र लगभग विगत 20 वर्षों से आवासीय उपयोग हेतु विकसित है अतएव महायोजना में हरित पट्टिका हेतु इस क्षेत्र को भी आवासीय क्षेत्रों आर-3 में परिवर्तित किया जाय ॥ मानचित्रों में दर्शाये गये विवरण के अनुसार ॥

३। महायोजना में प्रस्तावित बार्डपास के स्थल पर सहारनपुर मार्ग पर महायोजना प्रस्तावों के पूर्व में समुचित क्रियान्वयन न होने के कारण स्थल उपलब्ध नहीं है और नहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बार्डपास निर्माण करते समय महायोजना प्रस्तावों को दृष्टिगत रखा गया। श्रद्धांश एवं सहारनपुर मार्ग से सम्बद्ध करने वाला बार्डपास को सहारनपुर मार्ग से चकरोला मार्ग से सम्बद्ध करने के मध्य विद्युत परिषद के ~~संस्थान~~ ^{संस्थान} आ जाने के कारण अवलंब हो गया है। अतएव व्यावहारिकता को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस भाग को तदनुसार ही अधिकतम किया जाय तथा बार्डपास की दूसरी कड़ी जो चकरोला एवं सहारनपुर मार्ग से सम्बद्ध करनी है को प्रस्तावित बार्डपास से उत्तर की ओर लगभग 200 मीटर उत्तर में उपलब्ध हुये क्षेत्र से होते हुये सम्बद्ध कर दिया जाये और भविष्य में विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर ले कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण न होने पाये।

4- बार्डपास के एलाइन्मेंट में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप महायोजना में प्रस्तावित बस स्टैंड के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उप समिति की संस्तुति के अनुसार बस स्टेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर कृषि हरित पट्टिका में बढ़ाकर महायोजना में प्रस्तावित कर दिया जाये और तदनुसार इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तित कर दिया जायेगा।

9- बसन्त विहार में आवासीय कालोनी में जो स्थानीय दुकानों हेतु क्षेत्र दर्शाया गया था उसे आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिये जाने पर सहयुक्त नियोजक द्वारा अपने विशेष प्रतिनिधि एवं स्वयं दून कैलि आफिर्स को-आपरेटिव आवासीय सोसाईटी से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा यह आग्रह किया गया कि पूर्व स्वीकृत तमपट मानचित्र जिसमें कि आवासीय से व्यावसायिक परिवर्तन विनियमितीकरण अधिकृत है को दर्शाते हुये तथा इस क्षेत्र में जिस स्थानीय बाजार को विकसित किया गया है की स्वीकृति सहित उपलब्ध कराया जाय । परन्तु सम्बन्धित समिति द्वारा ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है इस सम्बन्ध में आवासीय सोसाईटी द्वारा सभतः बिना स्वीकृति के भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है तथा दुकानों का निर्माण भी किया जा चुका है । यह उचित समझा गया कि नियमों के अनुसार कार्यवाही के उपरान्त भू-उपयोग मानचित्रों के सम्बन्ध में पुनः निर्णय केंद्र लिया जाय इसी क्रम में इस कालोनी में छोड़े गये सप्तस पाार्क के विकास कार्यों को भी मानचित्र पर अंकित कर तकनीकी आख्या हेतु सहयुक्त नियोजक कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाय जिससे कि तत्कनुसार इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

10- राजपुर रोड पर सेटजोक्मस एकेडमी के सम्मल स्थित व्यावसायिक ईकाईयां जो मधुवन होटल तक स्थित है की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुये राजपुर रोड पर आर0 टी0ओ0 औफिस तक के सड़क के दोनों ओर सड़क के मध्य विन्दु से 65 मीटर चौड़े क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिये अंकित कर दिया जाय क्या? कि राजपुर रोड ही व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है ।

11- बसन्त विहार एवं परेड गण्डुड में वर्तमान स्थित प्रमुख मार्गों को महायोजना में दर्शाया जाय ।

मद संख्या 12: उपविधियों में संशोधन:

प्रतिभरण की पिछली बैठक दिनांक 21-11-85 व 4-6-86 में इस विषय पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की गई थी । इस समिति की 28-8-86 को देहरादून में व 30-8-86 को भूसुरी में बैठक हुई । समिति की रिपोर्ट/संस्तुति प्रतिभरण के सम्मल प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट/संस्तुति पर विचार करते समय इस विषय पर जोर दिया गया कि देहरादून तथा भूसुरी की भौगोलिक स्थितियां अलग-अलग है समिति की संस्तुतियों को निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किया गया:-

§1.1 महायोजना में संशोधन की रूप रेखा को अद्यतन में निकालना जरूरी नहीं है और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम की धारा 13 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये ।

§2.2 भूसुरी की विशेष स्थिति को देखते हुये भवन बनाने हेतु टाल 45 अंश के स्थान

पर अधिकतम 60 अक्ष तक हो सकता है परन्तु पहाड़ की स्टेकिंगीटी व सुरक्षा को भी देखा जाना चाहिये ।

शासनादेश संख्या 5167/नवि0/शमन/86 दिनांक 29-8-86 द्वारा अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु सैवार की गई उपविधियों का आलेख भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया और संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि व्यावसायिक औद्योगिक व कार्यालय उपयोगों के लिये किये गये निर्माण को शमन करने के लिये शमन दर ~~देख~~ ^{के} गुना कर दी जाय जैसा कि इस समय इस प्राधिकरण में प्रचलित है ।

नद संख्या : विकास शुल्क की दरों का निर्धारण:
विभाग्यः कुम्भकः । 2-
=====

प्राधिकरण की पिछली बैठक में विकास शुल्क की दर निर्धारित करने के लिये एक समिति गठित की गई थी जिसकी बैठक 4-8-86 को हुई इस समिति की सस्तिनया प्राधिकरण के समक्ष रखी गई और सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई ।

नद संख्या : 13- विना भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत कराये विकसित एवं अर्धविकसित कालोनियों में मानचित्रों की स्वीकृति :
=====

प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 4-6-86 में इस प्रश्न पर विचार हेतु एक उप समिति गठित की गई थी समिति की संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष रखी गई और सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति प्रदान की गई ।

नद संख्या: 14- हॉटलों के मानचित्रों की स्वीकृति :
=====

पिछली बैठक दिनांक 4-6-86 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित हॉटलों के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उनके मानचित्रों का अवलोकन किया गया और तदनुसार निम्नलिखित निर्णय लिया गया जो अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने की शर्त के साथ हैगी ,

§ 1। होटल क्लारिस्क: इस हॉटल के निर्माण की स्वीकृति दी गई ।

§ 2। मेजर देवेन्द्र सिंह आदि का हॉटल: इस हॉटल के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई ।

§ 3। होटल सनी: आवेदक द्वारा पहले से ही अनधिकृत निर्माण कर लिया गया है व सड़क के किनारे नहर पर अनधिकृत पार्किंग प्लेस बना दिया गया है जिससे यातायात में अवरोध होना बनाया गया है । इसके अलावा यहाँ पर एक हॉटल निर्धि पहले से ही बन चुका है और जिस स्थल पर यह दूसरा हॉटल बनाया जाना प्रस्तावित है वह एक ऐसी जगह पर है जहाँ आस पास के लोगों ने आपत्ति

की है । अतः यह प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया गया ।

§ 5 § होटल आंकाः

इस शर्त के साथ स्वीकृत दी गई कि मानचित्र इस प्रकार स्वीकृत कर दिये जाय जिसमें पार्किंग प्लेस स्पष्ट दिखाया गया हो और केवल तीन मज्स तक का ही निर्माण हो ।

§ 6 § श्री सुखदेव राजन द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्रः

इससे भी इस प्रतिबन्ध से स्वीकृत दी गई कि प्लाट के सब-डिवीजन की पसि ली जायेगी ।

§ 7 § हौदल रिलेक्सः स्वीकृत दी गई ।

§ 8 § श्री नीरज जैनः इस शर्त के साथ स्वीकृत दी गई है कि मानचित्र में महायोजना में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई और उससे निर्माण स्थल की निर्धारित दूरी दिखाई जायेगी तथा पार्किंग प्लेस भी स्पष्ट दिखाया जायेगा ।

§ 9 § वी०डी० होटलर्सः इस शर्त के साथ स्वीकृत दी गई कि केवल एक मजिले काटेज का निर्माण किया जायेगा ।

§ 10 § श्री विजय कुमार भाटियाः अन्य औपचारिकतायें पूरी करते हे हुये स्वीकृत दी जाय ।

§ 11 § होटल एकताः इस स्थल के निकट होटल रिलेक्स के निर्माण की स्वीकृत दी गई और यह होटल भी उसी व्यक्ति का है । अतः इसकी स्वीकृत नहीं दी गई ।

§ 12 § होटल अंका आवेदकों ने मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये हैं । मानचित्र

§ 13 § होटल गीतिका प्रस्तुत होने पर ही प्राधिकरण द्वारा विचार किया

§ 14 § होटल खेतना जायेगा ।

15- एस०सी०शर्मा का होटलः इस शर्त के साथ अनुमति दी गई कि केवल दो मजिले का होटल बनाया जायेगा और मानचित्र को इस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा जिसमें पार्किंग प्लेस दिखाया गया हो और होटल में प्रवेश मुख्य मार्ग की ओर से होगा ।

उपरोक्त होटलों जो व्यावसायिक भवन के रूप में आवासीय क्षेत्र में स्वीकृत किये जायेंगे उनमें निर्धारित परिवर्तन शुल्क भी देय होगा और मजिले आवेदक को प्राधिकरण से स्वीकृत किया जायेगा और मजिले आवेदक को प्राधिकरण से स्वीकृत किया जायेगा ।

(10) - देहरादून नगर में इनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुनर्गठन के लिए 2.50 करोड़ रु0 की रक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल निगम के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत की। यह निर्णय हुआ कि निम्नलिखित सदस्यों की कोटी इसका परिष्कार कर अगली बैठक में आव्याट प्रस्तुत करें :-

- 1- अधिभाषी अधिवन्ता, SAFOनि0वि0, देहरादून (श्री वदयान)
- 2- महोपबन्धक गढवाल जल संस्थान ।
- 3- नगर नियोजक ।

4- सचिव, विकास प्राधिकरण 1 जो इस समिति के संयोजक होंगे।
श्री. ज्ञानेश्वर अर्जुनलाल उद्योग अल्लोमि 223333 (4-11-1977 शनिवार)

(11) प्राधिकरण की दिनांक 29.7.87 की बैठक के अनुसार कांचली गांव के कतिपय गाटा नम्बरों का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन की रक सफल में भेज दिया गया। निर्णयानुसार पूरे गाटों का भू-उपयोग परिवर्तन होना हैउनके भाग का नहीं।

कार्यवाही सचिव।

(12) प्राधिकरण द्वारा निर्मित तिब्बती भाकेंड में निर्मित दुकानों में प्रोष वषी दुकानों के आवंटन के लिए उपपद्यय को अधिकृत किया गया ।

कार्यवाही सम्पत्ति अधिकारी।

(13) अजबपुरकलां के गाटा संख्या 1235 में दुनघाटी कर्मचारी सहकारी आवास समिति को 3 रकड या हडको द्वारा निर्धारित सीमा तक भूमि दी जा सकती है।

कार्यवाही सम्पत्ति अधिकारी।

(14) मसुरी में लायब्रेरी के पास कार पार्किंग के 8 लाख रु0 के रटीमेड को अनुमोदन प्रदान किया गया व कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए ।

कार्यवाही अधिभाषी अधिवन्ता।

(15) माल प्रोड पर लायब्रेरी से कमीपरेंस हाउस तक सडक के टोनों और आगे कोई भी निर्माण की स्वीकृति न दी जाए ।

कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव।

(16) - महोच्चवाला औद्योगिक क्षेत्र में श्री राजीव नागलिया के मानचित्र को सैद्धान्तिक स्वीकृति तो दी गयी परन्तु स्वीकृति आदेशा तभी जारी होगी जबकि इस क्षेत्र में सडको से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन को शासन से अनुमति मिल जाय। शासन की अनुमति हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय ।

(17) -

नगरपालिका, देहरादून द्वारा ट्रेनिंग मैदान के लिए प्रस्ताव
प्राधिकरण को शीघ्र प्रस्तुत किया जाय ।

कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून

दिनांक :- 1 :-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.9.87 की कार्यवाही की पुष्टि :-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.9.87 के कार्यवाही की पुष्टि की
गई व अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किए गए ।

विषयक्रमिक :- 2 :-

1.9.87 से 10.11.87 तक भवन मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का
निवेदन :-

आभ भवन मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया ।
इस संबंध में प्रस्तर 17 पर पहले अंकित किए गए निदर्शों के अनुसार कार्यवाही हो ।

कार्यवाही सचिव व नगर नियोजक ।

ब। विभिन्न योजनाओं की प्रगति :-

प्र विभिन्न योजनाओं की प्रगति आद्या का अवलोकन करने के उपरान्त
यह निष्पत्ति लिए गए कि 69 व 71 राजपुर रोड पर इन्डोर गैम सेंटर की
स्थापना की योजना अभी स्थगित रखी जाय व सिटी बस स्टैण्ड के पास एक
सुलभ शौचालय बनाया जाय ।

दिनांक :- 3 :-

लन्डरैर क्षेत्र में बस अड्डा स्थापित किए जाने के संबंध में :-

लन्डरैर क्षेत्र में सहस्रक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित स्थल पर अभी
तो बस स्टैण्ड की जरूरत नहीं है परन्तु मसूरी नगर क्षेत्र के लिए बनाई जा रही
महानियोजना में इस जगह को बस स्टैण्ड के लिए सुरक्षित दिखाया जाय । इस

इसके अलावा होटल शिफ्टिंग मसूरी का मामला भी प्रस्तुत किया गया । मामले में यह बताया गया कि इस होटल के निर्माण के सम्बन्ध में दून स्कूल के हेड मास्टर ने आपत्ति की है कि चार पांच पेड़ काटे गये है व मोटर मार्ग पर यातायात अवरोध होगा । प्राधिकरण के समक्ष रिपोर्ट में बताया गया कि चार पेड़ काटने की अनुमति बन विभाग द्वारा दी गई थी क्यों कि उनसे वर्तमान होटल को उत्तरा हो रहा था व इसके अलावा नगरपालिका मसूरी ने पुरस्ता निर्माण की अनुमति दी थी । इस पुरसे का निर्माण वर्तमान होटल के लिये आवश्यक बताया गया था क्यों कि उपाध्यक्ष द्वारा किये गये निरीक्षण के समय वर्तमान होटल में दरारे पाई गई थी और इस्की फर्श नीचे दब रही थी । इस वर्तमान होटल के पुर्ननिर्माण के साथ इसके नीचे स्थित भूमि पर भी 44 कम्रे बनाने का प्रस्ताव किया है । यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान होटल के पुर्ननिर्माण तथा नीचे की भूमि पर केवल 22 कमरों के निर्माण इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाय कि होटल में पाकिंग प्लेस की व्यवस्था व वर्तमान पेड़ों की स्थिति व कम किये गये कमरों की स्थिति को दिखाने हुये मानचित्र तैयार कराया जाय ।

मद संख्या: 15- होटल निर्माण की स्वीकृति के लिये नीति निर्धारण

इस मद में होटलों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में कुछ मार्ग निर्देश सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन पर सहमति प्रकट की गई और यह निर्णय लिया गया कि महायोजना में दिये गये भू-उपयोग के अनुसंध क्षेत्र में होटल बन सकते है, और ऐसे मामलों में उपाध्यक्ष ही स्वीकृति देगे परन्तु यदि महायोजना में दिये गये भू-उपयोग में परिवर्तन आवश्यक है तो उपाध्यक्ष की संस्तुति पर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

मद संख्या: 16- भू-उपयोग परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क एवं विकसन शुल्क:

शासनादेश संख्या 5748/11-5-86 दिनांक 18-8-86 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया शासनादेश में निर्धारित दरों का अनुमोदन इस तैयारी के साथ किया गया कि व्यावसायिक से कार्यालय उपयोग में परिवर्तित करने पर भी 50 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा ।

मद संख्या 18- राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-2 के बारे में आवास विकास परिषद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर विचार:

इव विन्दु पर शासनादेश संख्या 1023/37-2-86 दिनांक 22-2-

38

मातावहार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि वृत्तिक अब देहरादून
में प्राधिकरण गठित हो रहा है अतः आवास विकास परिषद को राजपुर
में स्थित भूमि गृह स्थान योजना संख्या 2 के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र न दिया
जाय और यह भूमि विकास प्राधिकरण को दी जाय ।

मद संख्या : 17 संयुक्त सचिव के आवास पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराया जाना

बस यह में उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुये सर्वसम्मति में यह
निर्णय हुआ कि संयुक्त सचिव के आवास पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी
जाय ।

मद संख्या : 18 उपाध्यक्ष के आवास की स्वीकृति:

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष के आवास हेतु रुपये
2000/- ई देा हजार ई मासिक किराये तक के भवन की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा
कर दी जाय और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की जाय व
शेष अधिकार्य द्वारा कटौत किया जाय ।

मद संख्या : 19 प्राधिकरण का मीनोग्राम:

प्राधिकरण के सम्मक्ष प्रस्तुत किये गये मीनोग्राम की सर्वसम्मति से अनुमोदित
किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि श्री अरविन्द कुमार वास्नुविद को
रु 200 मनेदय दिया जाय ।

मद संख्या : 20 उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा

32 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन:

अनिधिकृत निर्माण से लम्बित मामलों की जड़ी संख्या को देखते हुये सर्वसम्मति
से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत
शमन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिहीत किये गये:-

॥ 1 ॥ सभी शमन योग्य अनधिकृत निर्माण -----उपाध्यक्ष,
॥ 2 ॥ स्थल विकास औद्योगिक, सिनेमा के अधिकारक
शेष मामले -----सचिव/अपर सचिव संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव व सचिव के मध्य उपाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रों का विभाजन किया जाय
ताकि वे उन क्षेत्रों के मामलों में शमन के अधिकार का उपयोग करें ।

मद संख्या- 22- प्राधिकरण में अभियंत्रण विभाग हेतु जीप की स्वीकृति:
=====

प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग में अधिशासी अभियंता की नियुक्ति हो चुकी है व अवर अभियंताओं की संख्या 4 से बढ़कर 15 हो चुकी है। दो सहायक अभियंता पहले से ही हैं इसके अलावा दो सहायक अभियंता और जाने की आशा है मानचिह्नों की स्वीकृति हेतु दिये गये आवेदनों में निर्धारित समय के अर्न्तगत जांच कर आख्या देने, अनधिकृत निर्माण के मामलों की जांच करके और इस सम्बन्ध में प्राप्त हुये शिकायती पत्रों की जांचकर व नगर के चारों कोनों में कार्याभिवृत्त की जा रही विभिन्न योजनाओं पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि अभियंत्रण विभाग के लिये एक वाहन हो जिसका उपयोग अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंताओं/अवर अभियंताओं द्वारा किया जाये। अने सर्वसम्पत्ति से निर्धारित गया कि अभियंत्रण विभाग के लिये एक जीप अथवा जिप्सी प्रस्तावनी का क्रय कर लिया जाय।

मद संख्या: 22- प्राधिकरण क्षेत्र में पेड़ों के कटान पर रोक:
=====

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव नगर विकास ने अगत कराया कि नगरपालिका क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम लागू करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और वन अधिनियम में संशोधन होने के बाद नगरपालिका एवं प्राधिकरण क्षेत्र में पेड़ों के कटान पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। देहरादून में नगर में लीची अमरुद व आम के बागों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुये और उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस बात पर कल दिया गया कि भारतीय वन अधिनियम को नगरपालिका तथा प्राधिकरण क्षेत्र में लागू करने के लिये संशोधन शीघ्र किया जाय।

मद संख्या 22- तिब्बती बाजार में निर्माणाधीन दुकानों का आवंटन:
=====

इन दुकानों के आवंटन हेतु एक नीति निर्धारित करने के लिये निम्न-
लिखित समिति गठित की गई:-

- 1- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण
- 2- सचिव विकास प्राधिकरण
- 3- श्री इगोरिका नाथ धवन
- 4- श्री हीराग विह विल्ट, विधायक
- 5- जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी

यह समिति अपनी संस्तुति अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

22/1

वर्ष 86-87 का बजट व 1985-86 की कैलेंडर सीट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण ने इसका अनुमोदन किया और यह निर्देश दिये कि अधिष्ठान व कार्यालय व्यय में मितव्ययता की जाय ताकि इन मदों में व्यय स्वीकृत धनराशि से अधिक न हो बल्कि कम ही रहे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि विभिन्न मदों में आय की जो सम्भावनायें दिखाई गई हैं उनके अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। इसके अतिरिक्त वर्ष 87-88 का बजट अभी से तैयार करने के निर्देश दिये गये ताकि इसे फरवरी 1987 के अन्त तक प्राधिकरण से अनुमोदित कराया जा सके।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित अनुसूक्त मदों पर भी विचार किया गया

मद संख्या: 1 नगर महायोजना में सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई में अनधिकृत निर्माथि के शमन हेतु नीति निर्धारण :

पुस्तक खर्च यह बताया गया कि प्रस्ताव में दी गई सड़कों पर पुराने निर्माथिों की चिराया जाना संभव नहीं है।

§ 2 § प्रस्ताव में दी गई सड़कों में से अधिकांश सड़कों को निर्धारित चौड़ाई तक चौड़ी करने के लिये भी अभी कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

§ 3 § इन अनधिकृत निर्माथिों के बने रहने से और उनके शमन न किये जाने से इनके सम्बन्ध में प्राधिकरण में लिखत मामलों का निपटारा संभव नहीं है और लिखत मामलों की संख्या कम नहीं हो पायेगी।

विचार विर्भा के बाद निर्णय लिया गया कि महायोजना लागू होने तक जो अनधिकृत निर्माण हो चुके थे उन मामलों को शमन कर दिया जाय चरन्तु उनसे एक अनुबन्ध भी ले लिया जाय कि भविष्य में जब कभी सड़कों को चौड़ी करने के लिये उनके द्वारा किये गये निर्माण को हटाना होगा तो वह बिना प्रतिकर प्राप्त किये उसको हटा देंगे।

महायोजना लागू होने के बाद हुये अनधिकृत निर्माथिों की संख्या अलग से निकाली जाय और उनके बारे में क्या कार्यवाही की जाय इस बारे में अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या: 2 दून आर्किटेक्स सोसाईटी द्वारा भू-विन्यास में परिवर्तन:

सब बताया गया कि इस सोसाईटी में भू-विन्यास के विपरीत दूसरे स्थान पर व्यावसायिक केन्द्र बना दिया है और जो स्थान व्यावसायिक केन्द्र के लिये आरक्षित

धर रखा गया है उसे अब आवासीय उपयोग में लाना चाहते हैं। यह भी बताया गया कि मौके पर भू-विन्यास में निर्धारित पार्क से कम पार्क छोड़ा गया है और पार्क क्षेत्र का भू-उपयोग भी परिवर्तन किया गया है। विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक इस सीमाईटी से पूर्व स्वीकृत ने-आउट व स्वीकृत ने-आउट प्राप्त करें और इस बात की भी जांच करें कि पूर्व स्वीकृत भू-विन्यास में कितना क्षेत्र पार्क के लिये छोड़ा जाना था क्या उतना ही छोड़ा गया। सहयुक्त नियोजक अपनी आख्या उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे जो अपनी संसूचित के साथ प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या: 3 कलावती धर्मशाला:
=====

इस धर्मशाला के निर्माण में नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मान-चित्र से कुछ परिवर्तन हुआ है और 43.21 वर्गमीटर साइड सैड बैंक व 16.38 फुट सैड बैंक आच्छादित कर लिया गया है। फुट सैड बैंक भी अब शमन योग्य है यह धर्मशाला एक ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है और यह एक सार्वजनिक उपयोग व धर्मार्थ कार्य है अतः आच्छादित सैड बैंकों के बाजार मूल्य से 2 गुना मूल्य वसूल करना उचित नहीं पाया गया। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि बाजार मूल्य का दोगुना न लेते हुये केवल सैड बैंकों के लिये निर्धारित दरों के अनुसार इस मामले को शमन करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया जाय।

मद संख्या: 4 राजकीय सिया अर्थ राजकीय कार्यालय हेतु प्रिटिन्ट क्षेत्रों में अधिकारियों के आवास हेतु अनुमति:
=====

इस बात पर सहमति हुई कि यदि आवास निर्माण हेतु जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये तदनुसार निर्णय लिया गया कि राजकीय एवं अर्थ राजकीय कार्यालयों हेतु से सम्बन्धित कर्मचारियों के आवास बनाने की अनुमति देने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया जाय।

मद संख्या: 5 श्री रामध सिंह रावत का प्रार्थना-पत्र
=====

श्रीक जावेदक ने अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले लिया है अतः इस विषय पर निर्णय की आवश्यकता नहीं पड़ी गई।

मद संख्या: 6 श्री अश्लि मुल्का एण्ड कम्पनी द्वारा भू-उपयोग हेतु परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र।
=====

यह भूमि टर्नर रोड के पास एक क्षेत्र में है जिसका भू-उपयोग नगर महायोजना में कृषि दिखाया गया है। श्री अनिल गुप्ता इस क्षेत्र में 30 बीघा भूमि पर आवासीय कालोनी बनाना चाहते हैं और इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन करना चाहते हैं। जहाँ श्री अनिल गुप्ता आवासीय कालोनी बनाना चाहते हैं वहाँ मौके पर भूमि कृषि उपयोग में लाई जा रही है इसके अलावा यह भूमि मास्टर प्लान में वर्तमान आवासीय क्षेत्र से हटकर ग्रीनबेल्ट के बीच में है और यदि इसका भू-उपयोग परिवर्तित किया जाता है तो अन्य क्षेत्रों में भी भू-उपयोग परिवर्तन करना पड़ेगा इस प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन करने में महायोजना की महत्ता कम होती जायेगी इसके अलावा भू-उपयोग परिवर्तन होने से इस क्षेत्र में नगर भूमि सीमा रोपण के प्राविधान लागू हो जायेंगे और इससे वे कृषक प्रभावित होंगे जो इस समय यहाँ खेती कर रहे हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय में रिट दायर किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की लगभग 40 रिट ऐसे क्षेत्रों के कृषकों ने कर रखी है जहाँ मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र दर्शाया गया है परन्तु मौके पर वहाँ खेती होती है। विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा।

प्राधिकरण की आज्ञानी
निम्न ही जम्मी.

Shweta

॥ 30 डी0 चौके ॥

सिवल,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

Shweta

॥ प्रताप सिंह ॥

उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास
प्राधिकरण, देहरादून।

Shweta
10.10.86.

॥ एस0एस0 पांगती ॥

आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून
विकास प्राधिकरण
देहरादून।

Shweta

Shweta
11.12.86